

न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी

एम.आई.जी.-247 माधव नगर
ग्वालियर (म०प्र०)

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला ग्वालियर

विषय—ग्राम डोंगरपुर के सर्वे क्रमांक 17 रकवा 0.99 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर इंस्टीट्यूट एण्ड रिहैविटेसन सेन्टर फोर पैरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पिटल हेतु नवीन भवन निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने बावत।

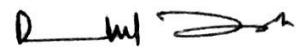
महोदय,

निवेदन है कि आवेदक संस्था न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी एम.आई.जी 247 माधव नगर ग्वालियर द्वारा ग्राम डोंगरपुर के सर्वे क्रमांक 17 रकवा 0.99 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर इंस्टीट्यूट एण्ड रिहैविटेसन सेन्टर फोर पैरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पिटल हेतु नवीन भवन निर्माण किया जाना है। उक्त प्रस्तावित भूमि, राजस्व वन भूमि होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने है। जिसके तहत वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकें। प्रस्ताव के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म. प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-11/2018/10-11/2072 दिनांक 12.07.2018 एवं निर्धारित एफ.आर.ए. के प्रमाण पत्र का प्रारूप भाग-1 एवं 2 की प्रति संलग्न है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार अभिलेख।

Neoteric Education And Service Society



(MR. RAMJUL GUPTA)
आवेदक संस्था

न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी
एम.आई.जी.-247 माधव नगर
ग्वालियर (म०प्र०)

